भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. *492**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत व्यापार संवर्धन संगठन

***492. श्री दिलीप शइकीया :**
श्री रमेश चन्द्र कौशिक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा घरेलू व्यवसाय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों में व्यावसायिक कार्यकलापों में वास्तविक अवसंरचना तथा सेवाओं के प्रबंधन को कितना विकसित किया जा रहा है;

(ग) घरेलू स्रोतों से आर्थिक कार्यकलापों के सृजन, निर्यात एवं सेवा संवर्धन तथा निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास हेतु आर्थिक जोन की इकाइयों की कार्य-योजना क्या है; और

(घ) विशेषकर असम राज्य सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ-साथ देश के सभी राज्यों में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र वर्तमान में तैयार हैं और प्रचालनरत हैं ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

"भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन" के संबंध में 6 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 492 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) विदेशी बाजारों में अपने उत्पादों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विदेशी प्रदर्शनियों में भारतीय कंपनियों की भागीदारी का आयोजन करता है और बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) और बिजनेस टू कंज्यूमर (बी2सी) दोनों घरेलू व्यापार मेलों का भी आयोजन करता है ताकि ब्रांड लॉन्च, संवर्धन,स्थापन और नए व्यापार गठजोड़ के साथ-साथ खुदरा बिक्री के लिए पूरे देश में भारतीय कंपनियों को साझा मंच प्रदान किया जा सके। आईटीपीओ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार मेलों का व्यापक प्रचार-प्रसार करता है। आईटीपीओ विभिन्न उद्योगों/सेक्टरों से संबंधित आयोजकों को प्रगति मैदान में खाली जगह (हॉल आदि) और सेवाएं भी प्रदान करता है, जिससे विभिन्न प्रदर्शनी कंपनियों को विदेशी प्रतिभागियों सहित इन प्रदर्शनियों में आने वाले अपने संभावित खरीदारों को अपने उत्पाद/सेवाएं दिखाने में मदद करता है। इससे भारतीय कंपनियों को अपने व्यापार नेटवर्क का निर्माण करने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के खरीदारों से ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिलती है।

आईटीपीओ ने अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मलेन केंद्र (आईईसीसी) की चल रही परियोजना के एक भाग के रूप में 50,000 वर्ग मीटर के अत्याधुनिक वातानुकूलित प्रदर्शनी स्थान के साथ एक नया प्रदर्शनी परिसर (हॉल 2-5) भी निर्मित किया है। इन हॉलों का 13 अक्टूबर, 2021 को शुभारंभ किया गया था।

(ख) : भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के सभी राज्यों में निर्यात से जुड़ी अवसंरचना जैसे सीमावर्ती हाट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्धन केंद्रों,ड्राई पोर्ट्स, निर्यात मालगोदाम और पैकेजिंग, एसईजेड, पत्तन/विमानपत्तन कार्गो टर्मिनस, और निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के लिए फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसका उपयोग कई निर्यातकों द्वारा किया जा सकता है, के विकास में सहायता करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017-18 से 'निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)' के नाम से एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

वर्तमान में, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय (एनईसी) तीन स्कीमों अर्थात "एनईसी की स्कीम", "पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस)", "संसाधनों का गैर-व्यपगत पूल-केंद्रीय (एनएलसीपीआर-सी)" को लागू करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से, एनईसी द्वारा "पूर्वोत्तर के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन)" नामक एक अन्य स्कीम लागू की जाएगी। इन स्कीमों के तहत, एनईआर की भौतिक अवसंरचना सहित समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए परियोजनाओं को महत्वपूर्ण अंतर-वित्त पोषण, लेकिन अनन्य रूप से व्यवसाय के लिए नहीं, के रूप में सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में एनईसी की स्कीमों के तहत

व्यापार/उद्यमिता गतिविधियों के विकास के लिए 18.25 करोड़ रुपये की लागत की 7 परियोजनाएं हैं। सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ग): विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मुख्य रूप से निजी निवेश प्रेरित पहलें हैं। सरकार एसइजेड अधिनियम/नियमों के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपाय करती है। सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, निर्यात और सेवाओं का संवर्धन करने और घरेलू स्रोतों से निवेश के संवर्धन के साथ-साथ एसईजेड में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एसईजेड विकासकों/इकाइयों हेतु कई उपाय किए हैं, जैसा कि **अनुबंध-II** में वर्णित है।

(घ): देश में पूर्वोत्तर राज्यों में 4 सहित 375 अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) हैं, जिनमें से 268 एसईजेड परिचालन में हैं। वर्तमान में, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई एसईजेड परिचालन में नहीं है और असम में कोई एसईजेड नहीं है।

****

अनुबंध -I

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता/व्यवसाय से संबंधित चल रही परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	स्कीम	अनुमोदन की तिथि	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जोटे में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना	उद्योग	एनईसी की स्कीम	26-11-2012	2.30
2	मेघालय	पूर्वी गारो हिल्स जिला, मेघालय में ग्रामीण उद्यमिता केंद्र की स्थापना	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-06-2017	3.01
3	मेघालय	उत्तर गारो हिल्स जिला, मेघालय में ग्रामीण उद्यमिता केंद्र की स्थापना	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-06-2017	3.02
4	मेघालय	दक्षिण गारो हिल्स जिला, मेघालय में ग्रामीण उद्यमिता केंद्र की स्थापना	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-06-2017	3.00
5	मेघालय	सोहपरू , पश्चिम खासी हिल्स जिला, मेघालय में ग्रामीण उद्यमिता केंद्र की स्थापना	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-06-2017	2.96
6	नागालैंड	मशीनरी, प्रसंस्करण और व्यवसाय प्रबंधन पर कौशल प्रशिक्षण, नागालैंड	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-09-2020	1.98
7	नागालैंड	नागालैंड के सभी 11 जिलों को कवर करने वाले उपकरणों और मशीनरी के रखरखाव और मरम्मत में 1100 युवाओं / उद्यमियों को प्रशिक्षित करें	उद्योग	एनईसी की स्कीम	29-09-2020	1.98
कुल						18.25

अनुबंध-II

एसईजेड में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने के उपाय:

1. निवल विदेशी मुद्रा अर्जन मानदंड की गणना के तरीके की समीक्षा की गई और दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा उसमें संशोधन किया गया।
2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई के लिए इसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए निवल विदेशी मुद्रा की गणना की सुविधा के लिए नियम 53ए अंतर्वेशित किया गया है।
3. एसईजेड को सेवाओं की एक समान सूची जो इनपुट सेवाओं की एक विस्तृत सूची है जिसका उपयोग एसईजेड इकाइयों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के परिचालन के लिए किया जा सकता है, जिससे ऐसे प्रत्येक मामले के लिए विकास आयुक्तों की अनुमति लेने के लिए इकाइयों की आवश्यकता से बचा जा सकता है।
4. एसईजेड इकाइयों को अनुमत कैफेटेरिया, व्यायामशाला, शिशु-गृह और अन्य समान सुविधाओं की स्थापना।
5. विकास आयुक्त को उनके क्षेत्राधिकार में एसईजेड इकाई को एक एसईजेड से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।
6. आईटी/आईटीइएस एसईजेड इकाइयों के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए मार्च-2019 में एसईजेड नियमों में संशोधन।
7. एफटीडब्ल्यूजेड में पड़े परित्यक्त माल/अनिकासित कार्गो की मंजूरी के लिए दिशानिर्देश।
8. एन्क्लेव के लिए "डी-नोटिफाई" प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना और केवल एसईजेड के उद्देश्य के लिए इसके वर्तमान अनिवार्य उपयोग को अलग करना।
9. विनिर्माण क्षेत्र की सेवाकरण को सक्षम बनाने के लिए सहायता। विनिर्माण समर्थ सेवा कंपनियों जैसे अनुसंधान एवं विकास सेवाएं, इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं, लॉजिस्टिक सेवा को अनुमति देना।
10. विकासकर्ताओं को राज्य की नीतियों के अनुरूप क्षेत्रों में हितधारकों के साथ दीर्घकालिक पट्टा समझौते में प्रवेश करने के लिए लचीलेपन की अनुमति है।
11. एक सह-विकासकर्ता से दूसरे सह-विकासकर्ता को अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए प्रावधानों को सक्षम बनाना।
12. एसईजेड में इकाइयां स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्टों और किसी अन्य संस्था को समर्थ बनाने के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 [धारा 2 (फ)] में संशोधन।
13. मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र जहां घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है, में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आपूर्ति पर ड्राबैक और किसी भी अन्य समान लाभ की स्वीकार्यता के संबंध में दिनांक 23.10.2020 के संशोधन द्वारा एक परंतुक सेज नियमों के नियम 24(3) में जोड़ा गया है।
14. एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 21ए अंतर्विष्ट किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत अधिसूचित बहुपक्षीय या एकपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इकाई स्थापित करने में समर्थ बनाता है।

15. इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा ऊर्जा दिशा-निर्देश, 2016 में संशोधन किया गया है, जिसमें एक इकाई को अपने परिसर में गैर-पारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों को कैप्टिव खपत के अनन्य उद्देश्य के लिए इस शर्त के अधीन स्थापित करने की अनुमति दी गई है कि एसईजेडअधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत गैर-कर/शुल्क लाभ निर्धारित किया गया है ।

16. दिनांक 27 मई, 2021 को एसईजेड/ईओयू में पुराने/प्रयुक्त कपड़ों और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के लिए नीति से संबंधित निर्देश संख्या 106, जारी किए गए थे।

17. सभी विकास आयुक्तों को फार्मा उद्योग के लिए विनियामक अनुपालन कम करने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को निर्देश संख्या 107 जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के साथ एफएसएसएआई के एकीकरण को लाइव कर दिया गया है।

18. एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 के तहत मौजूदा इकाई द्वारा स्थान के हस्तांतरण की वैकल्पिक विधि से संबंधित निर्देश संख्या 108 दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया है।

19. दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को निर्देश संख्या 109 जारी किए गए है जिसमें प्रावधान है कि नाम परिवर्तन, शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन, व्यवसाय हस्तांतरण व्यवस्था, न्यायालय अनुमोदित विलय और डीमर्जर, संरचना में परिवर्तन, निदेशकों के परिवर्तन आदि सहित पुनर्गठन संबंधित इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता/इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प का चयन नहीं करेंगे या बाहर नहीं निकलेंगे और एक चल रही संस्था के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.5525**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

व्यापार चर्चा

5525. कुमारी राम्या हरिदास :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अपने प्रत्येक पड़ोसी देश यथा चीन,भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार से अलग-अलग कुछ नए व्यापार निवेश तथा आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्ष में अब तक की गई चर्चाओं की परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इनके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): जी हां। वाणिज्य विभाग के पास अपने पड़ोसी देशों सहित, पाकिस्तान के साथ छोड़कर, कई देशों के साथ द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र है, जिसके तहत व्यापार, निवेश और आर्थिक मुद्दों पर आपसी सुविधा से चर्चा की जाती है। पिछले चार वर्षों में विभिन्न ऐसी द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं, जिनमें व्यापार, निवेश और आपसी हित के आर्थिक मुद्दे जैसे सीमा व्यापार अवसंरचना को सुदृढ़ करना, व्यापार की तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपाय, सीमा शुल्क में सहयोग, रेलवे, भूमि और समुद्री पत्तनों द्वारा व्यापार की सुविधा, मानकों के सामंजस्य, आदि पर समय-समय पर चर्चा की गई है। इन मुद्दों के समाधान और आपसी हितों की विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं जो इन देशों के साथ भारत के बढ़ते कुल व्यापार अर्थात् वर्ष 2017-18 में 112.15 बिलियन अमरीकी डॉलर से अप्रैल 2021- फरवरी 2022 में 135.77 बिलियन अमरीकी डॉलर (अनंतिम) में परिलक्षित होता है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.5538**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

निधियों का आवंटन

5538. श्री सुनील कुमार मंडल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मंत्रालय को आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है तथा विशेषरूप से पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कितनी निधियों का उपयोग हुआ है ; और

(ख) विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख) : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को विगत पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	आवंटित बजट (आरई)	
	वाणिज्य विभाग	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
2017-18	5602.33	5491.27
2018-19	6195.30	6140.23
2019-20	7264.29	6490.00
2020-21	4600.00	7583.06
2021-22	7421.00	8382.00
2022-23	6073.00 **(बीई)**	8348.00 **(बीई)**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित किसी स्कीम का कार्यान्वयन नहीं करता है, अत: मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी नहीं की जाती है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5540

दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऑर्गेनिक कॉटन प्रमाणन

5540. श्री डी.एम. कथीर आनन्द:
डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास (ए.पी.ई.डी.ए.) ने कुछ ऑर्गेनिक कॉटन प्रमाणन एजेंसियों का प्रत्यायन रद्द कर दिया है तथा उन पर दंड लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ए.पी.ई.डी.ए. पर लगाया गया दंड उस हानि के समतुल्य है जो राष्ट्र को गलत ढंग से ऑर्गेनिक प्रीमियम के मूल्य में दावे के कारण क्षति उठानी पड़ी है और उसकी साख को नुकसान पहुंचा है;
(ग) यदि हां, तो मूल्य के रूप में किए गए ऑर्गेनिक प्रीमियम के दावे का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या प्रमाणन एजेंसियों और व्यापारियों द्वारा इस प्रकार गलत ढंग से अर्जित ऑर्गेनिक प्रीमियम को वापस राजकोष में जमा कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के प्रावधानों के तहत कपास सहित प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और जैविक उत्पादों के लिए लेनदेन प्रमाण पत्र जारी करने में गलतियों के कारण क्रमशः अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 में 2 प्रमाणन निकायों की मान्यता को निलंबित कर दिया है।

(ख) से (घ): इन अनियमितताओं और गलतियों के कारण गलत दावा किए गए जैविक प्रीमियम के मूल्य की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है। इन उल्लंघनों के दोषी पाए गए प्रमाणन निकायों पर लगाया गया दंड एनपीओपी के प्रावधानों के अनुसार है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5548

दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

रूस और यूक्रेन से आयात

5548. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रूस और यूक्रेन से भारत द्वारा निर्यात/आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या हैं जो वहां युद्ध के कारण प्रभावित हो सकती हैं; और
(ख) आयात और निर्यात का कुल मूल्य क्या है और इसमें किस सीमा तक नुकसान होने का अनुमान है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): रूस और यूक्रेन से निर्यात/आयात पर युद्ध के प्रभाव का आकलन केवल स्थिति के स्थिर होने के बाद ही किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन से निर्यात और आयात का मूल्य नीचे दिया गया है:

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

	रूस			यूक्रेन		
वर्ष	**निर्यात**	**आयात**	**कुल व्यापार**	**निर्यात**	**आयात**	**कुल व्यापार**
2020-21	2,655.52	5,485.75	8,141.27	450.97	2,139.86	2,590.83
अप्रैल-फरवरी 2021-22	3,180.36	8,688.96	11,869.32	466.76	2,624.48	3,091.24

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5580

दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

रूस के साथ व्यापार

5580. श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रूस के बैंकों पर लगे हुए प्रतिबंधों के फलस्वरूप भुगतान फंसने के परिप्रेक्ष्य में, क्या रूस के साथ व्यापार संचालन के लिए भारतीय रुपये जैसी अन्य मुद्राओं का प्रयोग करते हुए किसी प्रणाली को शुरू करने का कोई प्रस्ताव रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रूस के साथ कुल कितना द्विपक्षीय व्यापार हुआ है;

(घ) क्या भारत हाल ही में रूबल की दर में हुई भारी गिरावट के कारण निश्चित विनिमय दर के बजाय अस्थिर विनिमय दर को अपनाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): आईएनआर और अन्य मुद्राओं में व्यापार के समाधान के लिए विनियामक रूपरेखा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 द्वारा शासित होती है, जो एक शाखा अथवा भारत के बाहर अभिकर्ता को, भारत में अधिकृत डीलर (एडी) बैंक के साथ वोस्ट्रो खाता खोलने के लिए अनुमति देती है। आरबीआई द्वारा एपी डीआईआर परिपत्र संख्या 09 दिनांक 22.11.2019 के तहत, विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खातों का कार्यक्षेत्र भारत के बाहर निवासी (विदेशी खरीदार/विक्रेता) को भारतीय रुपये में व्यापार/व्यापार क्रेडिट से संबंधित प्रामाणिक लेनदेन करने के लिए भारत में एडी श्रेणी-1 बैंकों के साथ एक गैर-ब्याज-धारक एसएनआरआर खाता खोलने के लिए अनुमति देकर बढ़ाया गया था।

(ग): विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार नीचे दिया गया है:

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

वर्ष	रूस		
	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
2019-2020	3,017.75	7,093.01	10,110.76
2020-2021	2,655.84	5,485.75	8,141.58
अप्रैल-फरवरी 2022 (पी)	3,180.48	8,688.52	11,869.00

(घ) और (ङ): रुपये की विनिमय दर मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति से निर्धारित होती है। आरबीआई रूपये की विनिमय दर के लिए पूर्व-निर्दिष्ट स्तर अथवा बैंड को लक्षित किए बिना व्यवस्थित परिस्थितियों को सुनिश्चित करते हुए विदेशी बाजार में स्थिरता बनाए रखता है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 5582**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

लौह अयस्क का निर्यात

5582. श्री जी.सेल्वम:

श्रीमती मंजुलता मंडल:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री सी.एन. अन्नादुरई:

श्री गौतम सिगामणि पोन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में लौह अयस्क के कुल उत्पादन और विभिन्न अन्य देशों को इसके निर्यात और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लौह अयस्क के घटते भंडार, मांग और खपत को ध्यान में रखते हुए और इसकी घरेलू मांग को पूरा करने के बाद ही देश से लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लौह अयस्क का निर्यात हर वर्ष बढ़ रहा है जबकि इसकी घरेलू मांग पूरी नहीं हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में लौह अयस्क की मांग और आपूर्ति का अनुपात क्या है;

(घ) क्या घरेलू लौह अयस्क की मांग की पूर्ति न होने के कारण विभिन्न उद्योग बंद हो रहे हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) क्या सरकार का लौह अयस्क की निर्यात नीति पर पुनर्विचार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में लौह अयस्क के कुल उत्पादन और विभिन्न अन्य देशों को इसके निर्यात और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण निम्न प्रकार है: -

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)	निर्यात (मिलियन टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
2018-19	206.49	16.15	1317.29
2019-20	246.08	36.62	2624.96
2020-21	204.28	57.72	4896.30
2021-22 (अप्रैल-जनवरी) अनंतिम	204.56	21.94	2697.33

स्रोत: उत्पादन: भारतीय खान ब्यूरो, निर्यात: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत का देश-वार लौह अयस्क का निर्यात **अनुबंध- I** में दिया गया है।

(ख), (ग) और (घ): लौह-अयस्क के कतिपय ग्रेड विदेश व्यापार नीति के अनुसार विनियमित होते हैं। उच्च ग्रेड लौह अयस्क (58% से अधिक की एफई सामग्री वाले) पर 30% का निर्यात शुल्क है। सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को प्राथमिकता देने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात के लिए दीर्घकालिक समझौते को भी 31.03.2021 से आगे नहीं बढ़ाया है। सरकार ने लौह अयस्क के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं , जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए खनन और खनिज नीति में सुधार, समाप्त खदानों की शीघ्र नीलामी और प्रचालन, सभी वैध अधिकारों और अनुमोदनों का निर्बाध हस्तांतरण, खनन प्रचालन और प्रेषण शुरू करने के लिए प्रोत्साहन, खनन पट्टों का हस्तांतरण, कैप्टिव खानों को उत्पादित खनिजों के 50% तक बेचने की अनुमति देना, अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

(ड.) लौह अयस्क की निर्यात नीति पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध- I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत का देश-वार लौह अयस्क का निर्यात

(मात्रा: टन में) (मूल्य: मिलियन अमरीकी डालर में)

	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (अप्रैल-जनवरी) अनंतिम	
देश विवरण	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
बहरीन आईएस					154077.00	27.03	49283.00	9.22
बांग्लादेश पीआर					24250.00	0.25	1.00	0.00
ब्राज़ील			54016.00	5.87	330598.00	55.66	211810.00	40.99
चिली	46243.00	5.09						
चीन पी आरपी	12103283.00	952.82	31605045.00	2134.16	51976090.00	4245.45	18511645.00	2136.24
इजिप्ट ए आरपी					59774.00	7.59		
फ्रांस			55189.00	6.17	30358.00	5.73	23487.00	4.33
इंडोनेशिया	108278.00	10.73	52800.00	5.62	593348.00	72.73	802621.00	136.08
इटली			59411.00	6.35	0.00	0.00	332284.00	64.87
जापान	1160139.00	85.96	1956021.00	181.43	1999869.00	203.87	74251.00	5.01
केन्या					840.00	0.02	48500.00	1.43
कोरिया डीपी आरपी	108504.00	12.30						
कोरिया आरपी	1054579.00	104.92	1015907.00	101.86	658474.00	77.70	501367.00	103.44
मलेशिया	343861.00	22.50	266389.00	23.72	741645.00	89.01	365101.00	56.26
मेक्सिको	53987.00	6.02						
नेपाल	76831.00	1.47	76998.00	1.84	95277.00	2.51	241570.00	3.00
नीदरलैंड	88748.00	9.65						
ओमान	252603.00	24.83	530530.00	55.63	697959.00	84.12	453953.00	95.40
पोलैंड	54432.00	7.60			72703.00	7.94		
कतर			53889.00	7.97	43500.00	0.82	48400.00	4.58
सऊदी अरब			49802.00	0.99				
सिंगापुर							64280.00	4.15
दक्षिण अफ्रीका	99588.00	11.21	51220.00	5.60				
स्पेन			54285.00	5.80				
तुर्की	66919.00	6.63	433060.00	47.56				
संयुक्त अरब अमीरात	0.00	0.00	77681.00	9.03	00. 52173	1.98	49975.00	2.39
यू के	371649.00	39.50	184381.00	21.03				
वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक	159243.00	16.06	47066.00	4.31	191331.00	13.91	161022.00	29.95
अन्य	14.00		7.00		379.00	0.23	117.00	0.06
कुल	**16148901.00**	**1317.29**	**36623697.00**	**2624.96**	**57722645.00**	**4896.53**	**21939670.00**	**2697.39**

स्रोत :डीजीसीआई एंड एस,कोलकाता

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 5585**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीरे, सिलियम और काली मिर्च की खपत

5585. श्री देवजी पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश में जीरा, सिलियम और काली मिर्च की राज्य-वार खपत कितनी है और उक्त खपत का मूल्य कितना है;

(ख) क्या डिजिटल मीडिया के माध्यम से जीरा, सिलियम और काली मिर्च का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विपणन किया जा रहा है और पारंपरिक तरीके से इनका विपणन करने के अतिरिक्त उनके औषधीय गुणों के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जीरा, सिलियम और काली मिर्च के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खपत बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ;

(घ) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में कितनी मात्रा में जीरा, सिलियम और काली मिर्च का देश–वार और मूल्य-वार निर्यात किया गया; और

(ड.) जीरा, सिलियम और काली मिर्च के निर्यात की सुविधा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पास जीरा, सिलियम और काली मिर्च की राज्य-वार खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख): जीरा, सिलियम और काली मिर्च सहित मसालों और कृषि फसलों के उत्पादन, अनुसंधान, विकास, घरेलू विपणन के लिए अधिदेश केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पास है। स्पाइसेस बोर्ड डिजिटल/सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, मेटा (फेसबुक), यूट्यूब, इंस्टाग्राम , कू

(भारतीय ऐप), लिंक्डइन आदि पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से जीरा और काली मिर्च सहित भारतीय मसालों को विदेशों में बढ़ावा दे रहा है । मसालों पर अभियान डिजिटल मीडिया पर चलाए जाते हैं ताकि सीमाओं को पार किया जा सके और दुनिया भर में मसालो के प्रति उत्साही लोगों से अपील की जा सके।

इसके अलावा, इन उत्पादों के औषधीय गुणों के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में स्पाइसेस बोर्ड (मसालों के लिए) और एपीडा (सिलियम के लिए) द्वारा विभिन्न क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) और व्यापार मेले आयोजित किए जा रहे हैं।

(ग) : यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय प्रचार के लिए उत्पाद-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है। तथापि, जीरा और काली मिर्च सहित मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए स्पाइसेस बोर्ड की स्कीम 'मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता में सुधार और इलायची के अनुसंधान और विकास' के लिए एकीकृत स्कीम के 'निर्यात विकास और संवर्धन' घटक के तहत निधि आवंटित कि गई है। इसके साथ ही, एपीडा के अधिसूचित उत्पादों के लिए अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निधि आवंटित की गई है, जिसमें सिलियम भूसी भी शामिल है।

इसके अलावा, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से बागवानी के समेकित विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत राज्य विभागों के माध्यम से काली मिर्च और जीरे सहित बागवानी फसलों के लिए कई विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है, जिसका उद्देश्य उपज के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना और इस प्रकार किसानों की आय में वृद्धि करना है। इनमें मुख्यत: नए उद्यान की स्थापना (क्षेत्र विस्तार), एकीकृत कीट प्रबंधन/एकीकृत गोलकृमि प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, जल संसाधनों का सृजन, कटाई उपरांत प्रबंधन, बाजार यार्डों का विकास, मानव संसाधन विकास आदि हैं।

(घ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्यात किए गए जीरा, सिलियम और काली मिर्च की मात्रा के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

- जीरा का मूल्य-वार निर्यात डेटा **अनुबंध-I** के अनुसार
- काली मिर्च का मूल्य-वार निर्यात डेटा **अनुबंध-II** के अनुसार
- सिलियम का मूल्य-वार निर्यात डेटा **अनुबंध-III** के अनुसार
- जीरा का देश-वार निर्यात डेटा **अनुबंध-IV** के अनुसार
- काली मिर्च का देश-वार निर्यात डेटा **अनुबंध-V** के अनुसार
- सिलियम का देश-वार निर्यात डेटा **अनुबंध -VI** के अनुसार

(ड.): सिलियम को भारत सरकार की कृषि निर्यात नीति (एईपी) के तहत क्लस्टर विकास के माध्यम से इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है। राजस्थान राज्य के जोधपुर, नागौर, बाड़मेर , जैसलमेर जिलों को एईपी के तहत क्लस्टर के रूप में अधिसूचित

किया गया है। भारत वर्तमान में मुख्य रूप से यूरोप, यूएस, यूके, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाजार में 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सिलियम भूसी और बीज का निर्यात कर रहा है।

स्पाइसेस बोर्ड, निर्यात विकास और संवर्धन के तहत घटक (ईडीपी), अवसंरचना के विकास, व्यापार संवर्धन, गुणवत्ता मूल्यांकन सुविधाओं के उन्नयन आदि के लिए केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से जीरा और काली मिर्च सहित मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान कर रहा है। ईडीपी घटक तीन प्रमुख उप : तहत किया जाता है घटकों के- अवसंरचना विकास, व्यापार संवर्धन और विपणन और सहायक सेवाएं। बोर्ड ने निर्यात के लिए मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उत्पादन बाजार / केंद्रों में आठ फसल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं।स्पाइसेस बोर्ड ने निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख उत्पादननिर्यात केंद्रों में आठ गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं/ की स्थापना की है । बोर्ड किसानों, राज्य के कृषिबागवानी विभागों के अधिकारियों/, व्यापारियों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों, अन्य हितधारकों आदि के लिए भारत भर में गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है ताकि उन्हें फसल कटाई से पहले और उपरांत तथा भंडारण प्रौद्योगिकियों के वैज्ञानिक तरीकों, निर्यात और मुख्य आयातक देशों में प्रमुख मसालों के लिए अद्यतन गुणवत्ता आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित किया जा सके जिससे किसानों को उपज का निर्यात योग्य अधिशेष उत्पन्न करने में सक्षम बनाया जा सके।

******

अनुबंध- I

पिछले पांच वर्षों के लिए जीरा की निर्यात मात्रा और मूल्य

वर्ष	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रु. करोड़)
2016-17	119000	1963.2
2017-18	143670	2417.99
2018-19	180300	2884.8
2019-20	214190	3328.06
2020-21	298423	4251.55
2021-22 (अप्रैल-जनवरी)	188521	2837.96

स्रोत: 2019-20 तक : डीजीसीआईएंडएस कोलकाता/निर्यातकों का रिटर्न/सीमा शुल्क से डीएलई;

2020-21 के बाद: डीजीसीआई एंड एस कोलकाता

अनुबंध- II

पिछले पांच वर्षों के लिए काली मिर्च की निर्यात मात्रा और मूल्य

वर्ष	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रु. करोड़)
2016-17	17600	1143.13
2017-18	16840	820.78
2018-19	13540	568.68
2019-20	17000	573.71
2020-21	19980	570.69
2021-22 (अप्रैल-जनवरी)	17615	599.31

स्रोत: 2019-20 तक : डीजीसीआईएंडएस कोलकाता/निर्यातकों का रिटर्न/सीमा शुल्क से डीएलई;

2020-21 के बाद: डीजीसीआई एंड एस कोलकाता

अनुबंध-III

पिछले पांच वर्षों के लिए सिलियम बीज की निर्यात मात्रा और मूल्य

वर्ष	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रु. करोड़)
2016-17	1005.17	17.246
2017-18	855.54	14.1868
2018-19	2273.54	38.4527
2019-20	1695.79	27.7459
2020-21	1448.84	24.3175
2021-22 (अप्रैल-जनवरी)	1673.53	24.1062

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

पिछले पांच वर्षों के लिए सिलियम भूसी की निर्यात मात्रा और मूल्य

वर्ष	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रु. करोड़)
2016-17	35422.98	1321.4145
2017-18	39708.38	1457.9505
2018-19	56392.58	1403.0152
2019-20	41591.56	1353.6634
2020-21	50442.71	1935.5883
2021-22 (अप्रैल-जनवरी)	44155.82	1828.1067

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

अनुबंध- IV

जीरा का देश-वार निर्यात डेटा

मात्रा टन में और मूल्य करोड़ रुपये में

वर्ष	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (अप्रैल-जनवरी)	
प्रमुख देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन	211.5	3.45	28	0.44	2608.47	38.34	54703.65	880.90	102975.6	1397.41	41943.2	600.24
बांग्लादेश	10067.72	139.81	18211.33	254.54	26909.47	362.84	32095.36	412.25	40579.73	543.16	28785.91	389.34
अमरीका	11548.32	219.62	10771.44	215.80	13282.47	256.64	14186.36	273.88	18132.8	324.89	13541.25	239.42
यूएई	8577.04	133.99	10817.03	168.46	7271.76	111.29	8505.66	125.08	13540.12	190.57	8974.41	129.94
नेपाल	3788.46	57.85	5966.41	95.85	7623.77	115.07	7585.92	120.75	11812.43	175.39	9291.59	131.11
इजिप्ट	2457	38.20	3631	57.27	8419.52	130.99	8981.03	132.53	9256	123.88	8022.2	114.72
यूके	3936.09	78.53	3836.5	76.70	4524.87	90.33	4390.22	88.82	5679.1	107.76	4335.58	89.08
अफगानिस्तान	शून्य	शून्य	220.02	3.31	4403	74.51	11471.11	170.97	6448.66	86.86	6176.57	90.60
मोरक्को	1328	20.09	2808	44.46	4724	70.46	6375	95.16	6571.4	86.15	2552.47	35.88
मलेशिया	4034.69	69.82	3978.42	72.39	4425.01	77.64	4159.96	66.67	4790.64	70.07	4183.89	66.18
ब्राज़ील	5076.5	61.31	5887.5	74.97	5415	75.91	5385.81	63.71	6828.6	67.76	4145.15	45.55
सऊदी अरब	3452.84	53.14	3779.01	56.74	3747.76	54.82	3862.63	55.12	4076.38	53.21	3951.63	55.17
श्रीलंका	2646.5	42.49	2856.32	47.17	3148.38	50.16	3151.81	46.38	3978.15	52.87	3056.85	43.93
मेक्सिको	1412.23	20.39	2522.23	36.95	2583.41	38.88	3303.26	46.41	4260	51.76	2011	23.61
जापान	1170.15	26.17	1182.1	27.12	1082.35	26.77	1739.54	40.63	2128.65	44.66	1979.66	41.22
अल्जीरिया	1400.25	20.53	1401.1	21.65	286.56	4.35	1231	17.31	3289.32	43.91	767.5	9.99
पेरू	628.25	9.91	1781.5	29.79	2117	36.40	1416	21.33	3225.98	43.82	1474	20.60
कनाडा	869.26	17.31	1139.16	22.16	1066.85	21.06	1319.24	24.37	1889.01	36.39	1273.95	24.96
दक्षिण अफ्रीका	1013.54	17.65	1278.63	22.63	1310.94	24.10	1413.72	23.94	2230.32	36.02	1132.13	18.64
इजराइल	1212.76	20.27	1645.04	23.18	1528.81	23.06	1813.92	26.32	2222.62	35.64	1415.25	22.97
वियतनाम (दक्षिण)	30917.6	513.26	29697.42	566.00	40560.95	659.02	1122.92	18.82	2095.74	34.82	1469.84	25.98
ईरान	701.41	11.91	1200.62	16.31	841.03	10.43	662	9.18	2437.1	34.58	1543.71	22.24
स्पेन	4366.24	67.03	2743.61	44.63	1695.64	27.31	1870.12	28.95	2334.56	34.39	2555.9	42.85
यमन उत्तर (वाई.ए.आर)	263.35	4.63	924.25	13.75	1311.2	19.87	2324.72	32.90	2471.68	32.55	1863.6	26.38
नीदरलैंड	535.18	10.67	765.96	15.50	597.73	13.80	845.99	19.14	1437.29	30.55	1645.16	35.67
ऑस्ट्रेलिया	716.21	15.06	1013.51	19.91	1188.59	23.47	1179.06	22.92	1588.39	30.39	1171.65	24.29
तुर्की	262	4.56	381.76	3.79	433.97	6.62	2552.35	39.91	2111.47	28.60	5080.76	75.06
जर्मनी	576.39	10.26	598	7.32	702.17	10.74	486.14	8.75	1199.4	27.82	1291.68	31.33
कुल (अन्य को शामिल करते हुए) 1000 में	119	1.96	143.67	2.42	180	2.88	214.19	3.33	298.423	4.25	188.52	2.84

स्रोत :डीजीसीआईएंडएस कोलकाता/निर्यातक का रिटर्न/डीएलई सीमा शुल्क से 20-2019 तक । 22- 2021 , 21-2020 एमओसी / डीजीसीआई एंड एस कोलकाता।

अनुबंध- V

काली मिर्च का देश-वार निर्यात डेटा

मात्रा टन में और मूल्य करोड़ रुपये में

वर्ष	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		**2021-22 (अप्रैल-जनवरी)**	
प्रमुख देश	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
अमरीका	8128.17	526.80	6377.17	310.83	3964.97	152.51	6680.73	199.04	6547.66	183.76	7259.15	235.23
यूके	1868.25	117.38	2250.05	89.78	1375.34	56.70	1573.91	49.56	1420.63	46.22	951.61	39.31
स्वीडन	1034.1	78.05	833.57	50.19	737.14	34.00	1152.04	46.21	1026.12	40.16	1016.99	42.49
जर्मनी	972.3	79.06	916.57	67.16	775.31	42.78	675.52	35.77	755.23	38.38	640.06	34.26
कनाडा	361.46	23.06	731.41	35.65	629.93	31.68	616.37	25.66	1176.1	36.45	955.97	32.46
नीदरलैंड	264.28	19.06	371.69	22.49	257.58	14.62	255.82	15.01	655.66	25.61	600.47	24.62
जापान	746.71	54.18	484.2	29.39	712.53	31.95	643.22	26.30	536.52	22.76	341.47	18.91
यूएई	302.75	18.15	231.73	11.30	242.42	10.27	183.97	7.18	703.04	15.63	893.97	25.29
ऑस्ट्रेलिया	301.16	18.12	453.82	21.40	436.97	14.01	673.64	18.64	458.12	13.08	512	19.94
इटली	271.54	13.45	351.94	13.26	381.32	15.70	592.78	14.03	507.52	12.66	463.47	16.66
पोलैंड	85.24	5.17	70.21	4.75	97.26	5.23	104.51	3.94	600.34	11.43	461.28	10.39
स्पेन	290.06	12.94	371.13	14.47	317.29	9.07	236.1	6.99	1059.1	9.76	535.92	7.13
चीन	57.9	4.65	214.64	10.00	246.58	9.34	229.32	7.39	268.02	8.40	205.44	7.52
तुर्की	207.5	13.62	263.82	10.87	191.19	8.77	173.75	4.76	369.06	8.40	195.93	6.30
फिलिपींस	147.58	9.17	158.01	6.64	300.29	9.40	476.36	11.56	396.08	8.33	358.95	10.07
फ्रांस	516.77	25.48	486.01	20.98	260.24	14.92	276.32	17.15	141.77	8.25	79.89	5.86
वियतनाम (दक्षिण)	105.68	6.04	41.29	2.90	44.01	2.25	74.31	2.06	177.68	7.92	52.44	4.71
मलेशिया	250.97	18.29	174.99	9.71	258.77	10.42	209.14	7.39	224.06	7.62	196.29	8.81
दक्षिण अफ्रीका	119.83	6.04	130.74	5.58	60.54	2.70	117.08	4.56	158.32	5.60	158.45	6.10
बेल्जियम	54.8	3.33	52.05	3.32	82.12	3.67	129.98	4.98	121.01	5.27	66.27	3.37
कुल (अन्य को शामिल करते हुए) 1000 में	**17.6**	**1.14**	**16.84**	**0.82**	**13.54**	**0.57**	**17**	**0.57**	**19.98**	**0.57**	**17.63**	**0.60**

स्रोत :डीजीसीआईएंडएस कोलकाता/निर्यातक का रिटर्न/डीएलई सीमा शुल्क से 20-2019 तक । 22- 2021 , 21-2020 डीजीसीआई एंड एस कोलकाता

अनुबंध- VI

सिलियम बीज का देश-वार निर्यात डेटा

मात्रा एमटी में और मूल्य करोड़ रुपये में

प्रमुख देश	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (अप्रैल-जनवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जर्मनी	378.77	4.95	458.25	6.21	511.04	6.67	598.38	6.88	481.70	6.56	388.51	5.58
यूके	2.95	0.05	22.48	0.39	21.33	0.37	16.76	1.08	55.31	2.98	8.10	0.55
स्वीडन	110.60	1.58	100.35	1.48	116.80	1.51	174.43	2.14	187.20	2.70	335.63	4.61
अमरीका	22.66	0.48	84.09	2.78	611.03	17.71	257.52	7.72	150.62	2.77	140.05	2.01
स्लोवेनिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.24	101.50	1.38	22.50	0.31
ईरान	225.00	3.04	54.00	0.64	143.00	1.74	194.00	2.51	69.00	1.34	113.00	1.57
ऑस्ट्रेलिया	48.49	1.50	26.48	0.52	32.36	0.65	35.11	0.79	52.04	1.02	59.37	1.15
कनाडा	3.73	0.16	7.42	0.28	23.01	0.89	8.86	0.46	11.60	0.69	8.13	0.45
अर्जेंटीना	1.50	0.02	4.00	0.06	4.00	0.05	7.50	0.08	37.00	0.56	5.00	0.07
बांग्लादेश पी आर	6.04	0.03	12.74	0.04	91.24	1.31	97.00	1.32	88.00	0.63	102.00	0.71
अन्य देश	205.43	5.43	85.73	1.79	719.73	7.55	287.23	4.53	214.87	3.68	491.24	7.09
कुल	**1005.17**	**17.25**	**855.54**	**14.19**	**2273.54**	**38.45**	**1695.79**	**27.75**	**1448.84**	**24.32**	**1673.53**	**24.11**

स्रोत: निर्यात-आयात बैंक, डीओसी

सिलियम भूसी का देश-वार निर्यात डेटा

मात्रा एमटी में और मूल्य करोड़ रुपये में

प्रमुख देश	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (अप्रैल-जनवरी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अमरीका	15755.99	512.93	16737.27	522.29	19220.39	542.67	15316.45	449.24	22336.34	798.20	18631.25	738.19
जर्मनी	3989.77	158.86	6220.17	250.24	5383.15	180.62	6519.95	223.76	7381.69	306.50	6719.45	293.06
इटली	1686.01	80.87	1913.12	95.05	2194.43	86.36	2182.15	85.05	2339.00	106.34	2235.57	96.29
बांग्लादेश पीआर	532.58	13.99	608.55	17.14	14420.72	43.79	2934.93	72.76	2566.38	64.25	1718.80	48.10
यूके	1369.21	54.95	1387.92	55.32	1263.62	49.15	1418.67	56.98	1458.14	63.66	1292.31	60.37
चीन पी आरपी	600.86	25.26	1249.03	50.56	1582.07	69.51	907.73	38.36	1321.76	60.45	1003.43	47.07
ऑस्ट्रेलिया	803.76	33.67	827.41	32.96	1160.24	38.83	873.79	29.29	1114.25	45.39	914.10	38.71
जापान	358.66	19.84	373.87	18.65	392.58	17.16	428.22	18.62	636.21	34.84	455.23	25.08
कोरिया आरपी	484.33	20.61	577.22	23.48	675.82	24.67	730.08	26.26	863.18	34.32	1343.54	61.80
फ्रांस	732.20	27.42	868.64	32.86	669.42	23.38	728.64	27.17	827.54	34.05	721.76	29.95
अन्य देश	9109.61	373.00	8945.18	359.42	9430.14	326.87	9550.95	326.17	9598.22	387.59	9120.38	389.49
कुल	**35422.98**	**1321.41**	**39708.38**	**1457.95**	**56392.58**	**1403.02**	**41591.56**	**1353.66**	**50442.71**	**1935.59**	**44155.82**	**1828.11**

स्रोत: निर्यात-आयात बैंक, डीओसी

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 5595**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय बागान संपदा

5595. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्रमशः संघ सरकार और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले चाय बागानों/संपदाओं की संख्या कितनी है;
(ख) सरकारी क्षेत्र के सभी चाय बागानों में मजदूरों और प्रबंधन कर्मचारियों के रूप में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या निजी क्षेत्र के चाय बागान मजदूरों को सार्वजनिक क्षेत्र के चाय बागानों में काम करने वालों की तुलना में अधिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है;
(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के चाय बागानों में मजदूरों और अन्य कामगारों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ; और
(ड.) उक्त कर्मचारियों में से कितनी के पास पक्के मकान हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): केंद्र सरकार के स्वामित्व में कोई चाय बागान नहीं है। दो (2) चाय बागान/एस्टेट राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं और 41 चाय बागान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्वामित्व में हैं। कर्मचारियों और मजदूरों की कुल संख्या सहित राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले चाय बागानों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (ड.): चाय बागान श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत कवर किया गया है। चाय बागान मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकार के दायरे में आता है, जो कि न्यूनतम मजदूरी तय/संशोधित करने वाली उपयुक्त सरकार है। चाय बागान श्रमिकों को संबंधित राज्य सरकार के तत्वावधान में उत्पादक संघों और श्रमिक संघों के बीच सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया के माध्यम से वार्ता से किए गए करार के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है ।

बागान श्रम (पीएल) अधिनियम, 1951 बागानों में काम की स्थितियों को नियंत्रित करता है और चाय श्रमिकों और उनके परिवारों सहित बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रावधान करता है। अधिनियम, नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को आवास, चिकित्सा सुविधाओं, बीमारी और मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा उपायों के अन्य रूपों को प्रदान करने को परिकल्पित करता है। इसमें बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के लाभ के लिए बागान एस्टेट में और उनके आसपास कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधा, पेयजल, संरक्षण, कैंटीन, क्रेच और मनोरंजन सुविधाओं के प्रावधान हैं। बागान श्रम अधिनियम संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से लागू किया जाता है।

बागान श्रम अधिनियम, 1951 के कल्याणकारी प्रावधानों को अब दो श्रम संहिताओं- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है।

****

अनुबंध

राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले चाय बागान:

क्र.सं.	बागान /राज्य सरकार का स्वामित्व	चाय बागान का नाम	कर्मचरियों की कुल संख्या	श्रमिकों की कुल संख्या
1	सिक्किम सरकार	टेमी टी एस्टेट	कार्यकारी - 3 कर्मचारी - 26	402 (स्थायी) 164 (अस्थायी)
2	केरल सरकार द्वारा संचालित : सहकारिता विभाग अध्यक्ष : वायनाड के कलेक्टर	प्रियदर्शिनी टी एस्टेट	कर्मचारी - 5 विशेष श्रेणी – 25	350
कुल				**916**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले चाय बागान:

क्र.सं.	चाय बागानों का नाम	राज्य	श्रमिकों का विवरण	
त्रिपुरा चाय विकास निगम लिमिटेड, त्रिपुरा सरकार का एक उपक्रम के स्वामित्व वाले बागान			**स्थायी**	**अस्थायी**
1	ब्रह्मकुंड टी एस्टेट	त्रिपुरा	110	68
2	कमलासागर टी एस्टेट	त्रिपुरा	157	43
3	मचमारा टी एस्टेट	त्रिपुरा	76	65
मैसर्स एंड्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाले चाय बागान				
4	बामुनबारी टी एस्टेट	असम	86	0
5	बासमटिया टी एस्टेट	असम	529	645
6	बोगीजान टी एस्टेट	असम	273	130
7	देशम टी एस्टेट	असम	673	748
8	हिंग्रिजन टी एस्टेट	असम	900	410
9	हुलुंगूरी टी एस्टेट	असम	950	1252
10	खोवांग टी एस्टेट	असम	937	900
1 1	मुरफुलानी टी एस्टेट	असम	398	650
12	राजगढ़ टी एस्टेट	असम	558	500
13	टिंगखोंग टी एस्टेट	असम	1059	1440
14	कर्बला टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	1659	542
15	न्यू डूअर्स टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	1738	951
16	चूनाभूति टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	1214	372
17	बनारहाट टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	1247	989

18	मीम टी एस्टेट	पश्चिम बंगाल	426	91
असम चाय निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाले बागान,				
19	भोलागुरी टी एस्टेट	असम	209	0
20	डीपलिंग टी एस्टेट	असम	1117	0
21	नेघ्रेटिंग टी एस्टेट	असम	1184	0
22	मेसामारा टी एस्टेट	असम	810	0
23	रूंगमट्टी टी एस्टेट	असम	788	0
24	सिनामारा टी एस्टेट	असम	2064	0
25	साइकोटा टी एस्टेट	असम	2372	0
26	नागनीजन टी एस्टेट	असम	961	62
27	लोंगई टी एस्टेट	असम	1624	0
28	इसाबील टी एस्टेट	असम	1019	0
29	विद्यानगर टी एस्टेट	असम	476	205
30	अम्लुकी टी एस्टेट	असम	1134	163
31	देजू वैली टी एस्टेट	असम	648	120
32	लूंगसोंग टी एस्टेट	असम	917	1111
33	राजाबारी टी एस्टेट	असम	156	265
तमिलनाडु चाय बागान निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाले बागान				
34	लॉसन चाय मंडल	तमिलनाडु	784	0
35	तांतियाचेराम्बडी ,चेरंगोड और कोलापल्ली चाय मंडल	तमिलनाडु	1623	417
36	तांतिया पंडियार और देवला चाय मंडल	तमिलनाडु	706	217
37	नादुवट्टम चाय मंडल	तमिलनाडु	365	0
38	कोटागिरी चाय मंडल	तमिलनाडु	260	6
39	कुन्नूर चाय मंडल	तमिलनाडु	248	12
कर्नाटक वन विकास लिमिटेड के स्वामित्व वाले बागान				
40	गलीबीडु चाय परियोजना	कर्नाटक	एन.ए	एन.ए
केरल वन विकास निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाले बागान				
41	वायनाड चाय बागान परियोजना	केरल	118	31
कुल			**32573**	**12405**

****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5638

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय का उत्पादन

5638. **श्री राजू बिष्ट:**

वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों में चाय उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन जिलों से निर्यात की गई कुल चाय और निर्यात के औसत बिक्री मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अन्य देशों से भारत में चाय की अवैध डंपिंग की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में अन्य देशों से भारत में चाय के आयात का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का चाय पर आयात शुल्क लगाने और बाजार में प्रवेश की अनुमति देने से पहले आयातित चाय के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) की मंजूरी अनिवार्य करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर बंगाल के जिलों में चाय के उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है:

मि.किग्रा में मात्रा

जिला	2019	2020	2021*
दार्जिलिंग (दार्जिलिंग हिल्स और दार्जिलिंग मैदान)	**125.64**	**108.59**	**114.23**
कलिम्पोंग	**1.92**	**1.41**	**1.33**
अलीपुरद्वार	**44.22**	**42.45**	**45.16**
जलपाईगुड़ी	**177.76**	**166.28**	**168.39**

***अनंतिम, संशोधन के अधीन**

स्रोत: चाय बोर्ड

(ख): निर्यात से पहले चाय को अधिकतर सम्मिश्रित किया जाता है, जिससे इस प्रक्रिया में उत्पत्ति स्थान (जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) लुप्त हो जाता है। अतः चाय बोर्ड द्वारा चाय के जिला - वार निर्यात से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय का निर्यात निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

वर्ष	मात्रा (मि. किग्रा.)	मूल्य (रुपये करोड़)	इकाई मूल्य (रु/किग्रा)
2019	**252.15**	**5737.66**	**227.55**
2020	**209.72**	**5235.29**	**249.63**
2021*	**195.50**	**5246.89**	**268.39**

स्रोत: चाय बोर्ड

(ग) से (च): घरेलू बाजारों के लिए आयातित चाय पर 100% का मूल आयात शुल्क और अधिभार लगता है। निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए आयात शुल्क शून्य है। विदेश व्यापार करार (एफटीए) के तहत प्रति कैलेंडर वर्ष में श्रीलंका से 15 मिलियन किलोग्राम चाय की मात्रा तक के आयात पर 7.5 प्रतिशत मूल शुल्क और अन्य सामान्य अधिभारों की रियायती दर लागू होती है। वियतनाम, इंडोनेशिया आदि जैसे आसियान देशों से चाय का आयात आसियान करार के अंतर्गत कवर किया गया है और वर्तमान में 45 प्रतिशत का शुल्क लगता है। नेपाल से आयातित चाय पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के देश-वार आयात का विवरण अनुबंध में दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और सीमा शुल्क की फील्ड संरचना, प्रवेश स्थल पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी उत्पत्ति नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रावधानों को लागू कर रहे हैं।

*****

अनुबंध

पिछले 3 वर्षों के दौरान देश/उत्पत्ति – वार आयातित चाय

मि .किग्रा.में मात्रा

देश /मूल	2019	2020	2021
अर्जेंटीना	1.42	0.63	1.23
ऑस्ट्रेलिया	--	--	0.06
चीन	0.36	0.36	0.50
जर्मनी	0.02	0.01	0.11
इंडोनेशिया	0.41	0.84	1.37
ईरान	0.02	0.06	0.36
जापान	--	--	0.01
केन्या	3.00	7.17	8.50
मलावी	0.50	0.24	0.16
मलेशिया	0.05	0.02	--
मोज़ाम्बिक	0.04	0.35	0.30
म्यांमार	0.02	0.02	--
नेपाल	7.58	10.88	8.59
रवांडा	-	0.05	0.17
दक्षिण अफ्रीका	-	0.04	--
श्रीलंका	0.47	0.31	0.29
तंजानिया	0.29	0.34	0.17
तुर्की	-	0.14	--
यू. ए. ई	0.03	0.07	0.54
यू. एस. ए	0.02	0.19	0.04
युगांडा	-	0.05	0.07
यूनाइटेड किंगडम	0.48	0.28	0.17
वियतनाम	0.80	1.64	2.87
ज़िम्बाब्वे	0.14	0.10	0.39
जापान	0.01	--	--
सिंगापुर	0.18	--	--
ताइवान	0.02	--	--
कुल	15.86	23.79	25.90

स्रोत: चाय बोर्ड

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5660

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

5660. श्री नलीन कुमार कटील:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत द्वारा कितने देशों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) क्या एफटीए के अंतर्गत व्यापार के मामले में अपेक्षित प्रगति हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): अब तक, भारत ने अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ 13 मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें पिछले पांच वर्षों के दौरान हस्ताक्षरित 3 करार नामत : भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी करार (सीईसीपीए), भारत-यूएई व्यापक भागीदारी करार (सीईपीए) और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार (इंडआस इकता) शामिल है। भारत द्वारा हस्ताक्षरित एफटीए की सूची निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**करार का नाम**
1	भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (एफटीए)
2	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) पर करार (भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान)
3	भारत-नेपाल व्यापार संधि
4	भारत-भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर करार
5	भारत-थाईलैंड एफटीए – प्रारंभिक फसल स्कीम (ईएचएस)
6	भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)
7	भारत-आसियान सीईसीए - वस्तुओं, सेवाओं में व्यापार और निवेश करार (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार,

क्र. सं.	**करार का नाम**
	फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)
8	भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए)
9	भारत-जापान सीईपीए
10	भारत-मलेशिया सीईसीए
1 1	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी करार (सीईसीपीए)
12	भारत-यूएई सीईपीए (*)
13	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार करार (इकता) (*)

(*)हस्ताक्षरित ,लेकिन अभी कार्यान्वित किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, भारत ने निम्नलिखित 6 सीमित कवरेज अधिमानी व्यापार करार(पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं:

क्र. सं.	करार का नाम
1	एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए)
2	वैश्विक व्यापार अधिमान प्रणाली (जीएसटीपी)
3	सार्क अधिमानी व्यापार करार (सापटा)
4	भारत-अफगानिस्तान पीटीए
5	भारत-मर्कोसुर पीटीए
6	भारत-चिली पीटीए

एफटीए के आर्थिक प्रभाव के समय-समय पर आंकड़ों के विश्लेषण और हितधारकों के परामर्श दोनों के संदर्भ में किए गए मूल्यांकन से पता चला है कि एफटीए भागीदारों के साथ निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि हुई है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं० 5680**

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

खिलौनों के आयात हेतु दिशानिर्देश

5680. श्री हिबी ईडनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खिलौना निर्माताओं द्वारा खिलौनों के आयात हेतु बनाए गए नए मानदंडों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में खिलौना निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ग) दुकानों द्वारा खिलौने बेचने के लिए नए मानदंडों/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की कोच्चि शाखा बार–बार अखबारों में परिपत्र और नोटिस जारी कर रही है जिसमें व्यापारियों से केवल आईएसआई मार्क वाले खिलौने बेचने का आग्रह किया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख): सस्ते और निम्न क्वालिटी के खिलौनों क आयात को नियंत्रित करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना संख्या 33/2015–2020, दिनांक 02-12-2019 के माध्यम से प्रत्येक खेप से नमूना परीक्षण का अधिदेश दिया है और इसके अनुसार गुणवत्ता परीक्षण सफल होने तक किसी बिक्री की अनुमति नहीं है। परोक्षण असफल होने पर, खेप को या तो वापस भेज दिया जाता है या आयातक के खर्चे पर इसे नष्ट किया जाता है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने भी 25/02/2020 को खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जारी किया है, जिसके माध्यम से खिलौनों को 01/01/2021 से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अनुसार, प्रत्येक खिलौना संबंधित भारतीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और उस पर बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की स्कीम–I के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगाना होगा। यह क्यूसीओ घरेलू विनिर्माताओं के साथ–साथ विदेशी विनिर्माताओं पर भी समान रूप से लागू होता है जो भारत को अपने खिलौने निर्यात करना चाहते हैं।

बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 के साथ पठित इस क्यूसीओ के अनुसार कोई भी व्यक्ति आईएसआई चिह्न के बिना किसी खिलौने का विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया पर लेने, पट्टा पर देने, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने का कार्य नहीं करेगा। खिलौने की सुरक्षा के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने में उद्योग को सुविधा प्रदान करने हेतु बीआईएस वेबिनार और आपसी बातचीत के माध्यम से घरेलू खिलौना उद्योग–जगत के साथ नियमित रूप से जुड़ा रहा है। 30-03-2022 तक, बीआईएस ने घरेलू खिलौना विनिर्माण इकाइयों को 673 लाइसेंस और विदेशी विनिर्माण इकाइयों को 03 लाइसेंस जारी किए हैं।

(ग): खुदरा विक्रेताओं सहित विक्रेता, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि केवल मानक चिह्न वाले खिलौने वैध बीआईएस लाइसेंस धारक खिलौना विनिर्माताओं से खरीदे और बेचे जाएं।

(घ) एवं (ड.): बीआईएस की कोच्चि शाखा ने समाचार पत्रों में बीआईएस प्रमाणन चिह्न के बिना खिलौनों की बिक्री संबंधी कोई नोटिस जारी नहीं किए है। हालांकि, उन्होंने बीआईएस केयर मोबाइल ऐप के माध्यम से अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के तहत उत्पादों के विवरण का पता लगाने की सुविधा के संबंध में दिसंबर 2021 में केरल के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए हैं। उसके अलावा, बीआईएस की कोच्चि शाखा ने केरल के प्रमुख मॉलों और खिलौनों की दुकानों को भी बीआईएस प्रमाणन वाले खिलौने बेचने के लिए परिपत्र जारी किए और खिलौनों पर अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन होने के बारे में एर्नाकुलम में आम जनता के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीआईएस प्रमाणन के बिना खिलौने बेचने वाले एक दोषी के विरुद्ध तलाशी और जब्ती की कार्रवाई भी की गई।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5690

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत और नेपाल के बीच व्यापार में व्यवधान

5690. श्री अनुभव मोहंती:

वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सितंबर, 2015 के दौरान भारत और नेपाल के बीच व्यापार में बहुत बड़ा व्यवधान आया था जिसके परिणामस्वरूप नेपाल ने भारत से अपने आयात में लगभग 40 प्रतिशत की कमी की और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या दोनों देशों के बीच उक्त व्यापार बढ़कर सितंबर, 2015 से पहले के स्तर तक पहुंच गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जी नहीं । पिछले 8 वर्षों में नेपाल को भारत का निर्यात निम्नानुसार है: -

मिलियन अमरीकी डॉलर में मूल्य

वर्ष	नेपाल को भारत का निर्यात
2013-14	3,592.30
2014-15	4,558.77
2015-16	3,902.70
2016-17	5,453.59
2017-18	6,612.96
2018-19	7,766.20
2019-20	7,160.35
2020-21	6,838.46

(डेटा स्रोत: डीजीसीआईएस)

भारत सरकार सीमा व्यापार के निर्बाध प्रवाह के लिए नियमित द्विपक्षीय आदान-प्रदान और व्यापार अवसंरचना के विकास (जैसे एकीकृत चेक पोस्ट) के माध्यम से भारत-नेपाल व्यापार सहयोग को आगे और सशक्त और विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.5712**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि निर्यात

5712. श्री धर्मेन्द्र कश्यप :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में है ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए किसानों को प्रोत्साहन और रियायतों सहित कोई सुविधा प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को निर्यात में भागीदार बनने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : कृषि उत्पादों का निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। यह निर्णय लिया गया है कि वाणिज्य विभाग की निर्यात हब के रूप में जिला पहल का उपयोग कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। वाणिज्य विभाग कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों अर्थात निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम आदि के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और स्पाईसेस बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत भी कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता उपलब्ध है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य/जिला स्तर पर भी कई कदम उठाए हैं। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय

समितियां बनाई गई हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजनाएं भी तैयार की गई हैं।

(ग) और (घ) : किसानों को निर्यात बाजार लिंकेज प्रदान करने के प्रयास में, निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों/कंपनियों (एफपीओ/ एफपीसी) और सहकारी समितियों को एक मंच प्रदान के प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल बनाया गया है। एफपीओ/एफपीसी/सहकारी समितियों के लिए राज्य विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विकास केंद्रों के सहयोग से राज्यों और अभिज्ञात कलस्टरों में क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से किसान समूहों को सशक्त करने के लिए कई संगठनों अर्थात् राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग (एनसीडीसी), लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के साथ सहयोग कर रहा है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5738

दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

ईरान के सेब का आयात

5738. श्रीमती प्रतिभा सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में ईरानी सेब का आयात अफगानिस्तान के रास्ते शुल्क का भुगतान किए बिना किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और संघ राज्यक्षेत्र कश्मीर की सरकारें इस मामले को संघ सरकार के संज्ञान में लाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) करार के तहत अफगानिस्तान से सेब के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है, जो निर्धारित उत्पत्ति के नियमों (आरओओ) के अनुपालन के अधीन है। वर्तमान वर्ष के दौरान अफगानिस्तान से सेब का कोई असामान्य आयात नहीं देखा गया है, अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान केवल 1947.19 टन, मूल्य 1.82 मिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया है।

(ग) और (घ) इस संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अफगानिस्तान से सेब के आयात के संदर्भ में आरओओ के सख्त अनुपालन के लिए इस मामले को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के संज्ञान में लाया गया था।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5745

दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

काजू का संवर्धन

5745. श्री टी.आर.वी.एस. रमेश:
डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में प्रौद्योगिकी प्रसार के माध्यम से काजू क्षेत्र का संवर्धन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने काजू क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी हेतु अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) के तहत काजू और कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी) नियमित रूप से किसानों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और राज्य कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर संस्थान और बागवानी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आंध्र प्रदेश राज्य में काजू को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, सम्मेलन और बागवानी मेले भी आयोजित कर रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य में, पिछले पांच वर्षों से, प्रौद्योगिकी प्रसार गतिविधियों के तहत काजू के संवर्धन के लिए कुल 27 प्रशिक्षण/सेमिनार/एक्सपोज़र विज़िट/मेलों का आयोजन किया गया।

इसके अलावा, डीसीसीडी ने काजू उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए एमआईडीएच और आरकेवीवाई के तहत 15 राज्यों में विभिन्न संवर्धनात्मक उपायों को भी लागू किया है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान, इन कार्यक्रमों के तहत लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया था और इन संवर्धनात्मक उपायों पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(ग) और (घ): एमओए एंड एफडब्ल्यू के तहत आईसीएआर - काजू अनुसंधान निदेशालय, पुट्टूर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से काजू में समग्र विकास को बढ़ावा देने और काजू की उत्पादकता, गुणवत्ता, संसाधन दक्षता और मूल्यवर्धन के लिए कार्यनीतिक, बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने के लिए कड़े प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, काजू पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का एक केंद्र काजू अनुसंधान स्टेशन (डॉ वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय) बापटला, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में काम कर रहा है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5750

दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जापानी प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता

5750. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव माडंलिक:
श्री प्रताराव जाधवः
क्या वाणिज्य और उद्योग यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच किन विभिन्न व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
(ग) दोनों देशों के बीच उक्त व्यापार समझौतों के निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;
(घ) हाल के दिनों में चीन और रूस छोड़ने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में गठित भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धी सहयोग के तहत देश में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए जापानी और रूसी कंपनियों के लिए कोई रूपरेखा तैयार की हैं;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(छ) देश में रूसी और जापानी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) : जी हाँ । जापान के प्रधान मंत्री ने 14 वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 19 से 20 मार्च 2022 तक भारत का दौरा किया । जापानी प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करार/समझौता ज्ञापन का विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

(घ) से (छ): सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की निरंतर आधार पर समीक्षा करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर बदलाव करती है कि भारत एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य बना रहे। इरादा उन नीतिगत बाधाओं को हटाना होता है जो देश में निवेश प्रवाह में बाधा बन रही हैं। शीर्ष उद्योग चैम्बर्स, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद नीति में बदलाव किए जाते हैं। भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी (आईजेआईसीपी) के तहत रोडमैप पर 19.03.2022 को भारत सरकार और जापान सरकार के बीच आईजेआईसीपी के तहत सहयोग के आधार के रूप में कार्य करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।

जापान और रूस की कंपनियों को निवेश संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया (राष्ट्रीय निवेश सुविधा एजेंसी) में 'जापान प्लस' और 'रूस प्लस' डेस्क हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति बनाई है, जिसमें कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं।

अनुबंध-1

19 और 20 मार्च, 2022 को जापानी प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करार/समझौता ज्ञापनों की सूची ।

क्र.सं.	**हस्ताक्षर किए गए करार/समझौता ज्ञापन**
1	साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन (एमओसी)
2	विभिन्न राज्यों में कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति और सीवरेज, बागवानी, स्वास्थ्य देखभाल और जैव विविधता संरक्षण में परियोजनाओं के लिए 7 जेआईसीए ऋण क) समर्पित मालभाड़ा कॉरिडोर परियोजना (चरण 2) (III) ख) पूर्वोतर सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना (एनएच 208 (खोवाई - सबरूम) चरण 6 ग) बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना (चरण 3) (II) घ) उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना ङ) असम में स्वास्थ्य प्रणालियों और चिकित्सा शिक्षा की उत्कृष्टता को सुदृढ़ बनाना च) तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण और हरित परियोजना चरण- II छ) चेन्नई मेट्रो (चरण 2) (II)
3	i) भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अनुच्छेद 13 के अनुसार भारत और जापान के बीच हस्ताक्षरित कार्यान्वयन करार (आईए) के अनुच्छेद 7 (सूचना का आदान-प्रदान) का संशोधन ii) सीईपीए के अनुबंध 2 (उत्पाद विशिष्ट नियम) का संशोधन, भारत के मछली सुरीमी उत्पाद को गैर-मूल योजक के साथ भारत के मूल उत्पाद के रूप में माना जाने की अनुमति देता है।
4	विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन पर सहयोग ज्ञापन (एमओसी)
5	भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी रोडमैप
6	सतत शहरी विकास पर सहयोग का ज्ञापन